प्रकीर्ण रिट याचिका / WPMS सं0 1076 / 2021

मान्नीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा जे0

श्री पियूष गर्ग एवं अक़लीमा परवीन

(याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता)

श्री अमर मूर्ति शुक्ला

(उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता)

उक्त याचिका एक अत्यंत रोचक विषय के विचारण हेतु दायर की गई है, जिसमें नगर पंचायत के निर्वाचित उम्मीदवार ने जिला न्यायाधीश नैनीताल के आदेश दिनांक 12–04–2021 चुनाव याचिका सं0 01 / 2021 डॉ0 केदार पलरिया बनाम् प्रेम बल्लभ व अन्य को चुनौती दी गई, जिसमें बिंदु सं0 4 का निस्तारण कर दिया गया था।

याचिका की प्राथमिक सुनवाई पर यह एक गंभीर परिस्थिति उठी कि **संदर्भ** का दायरा क्या हो सकेगा, जबकि 131–H उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम में किसी प्राधिकार का कोई उल्लेख नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि संदर्भ का मुद्दा इस विषय पर उठना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अधिनियम में इस मुद्दे पर कुछ उल्लेखित नहीं है दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया कि मान्नीय न्यायलय की सहकारिता पीठ के निर्णय दिनांक 19–08–2020 के अनुपालन में नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन का संदर्भ ग्रहण करने की क्षमता जिलाधिकारी में निहित है। न्यायलय द्वारा जब इस बिंदु पर पुर्नविचार किया गया, मैं सहकारिता पीठ के निर्णय से सहमत नहीं था, जिसमें जिलाधिकारी को धारा 131–H उपधारा 6 के अंतर्गत संदर्भ गृहण करने का अधिकार निहित है। अतः इस न्यायलय द्वारा निम्न प्रश्न सहकारिता पीठ के निर्णय से भिन्न ग्राह्य करने हेतु संगठित किये और इस प्रश्न को उच्चतर पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उच्च न्यायलय के मान्नीय सर्वोच्च न्यायमूर्ति भी शामिल है–:

1. निर्वाचन याचिका का संदर्भ ग्रहण करने हेतु धारा 131–H उपधारा 10 में कौन सा प्राधिकारी सक्षम होना चाहिए?

2. क्या अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान उच्च न्यायलय को विधायिक शक्ति प्रदान करता है कि वह इस मामले में संदर्भ ग्रहण करने की क्षमता / अधिकार हेतु किसी जिलाधिकारी को जिला पंचायत के सदस्यों से प्रश्न करने का अधिकार प्रदान कर सके?

3. क्या अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायलय किसी विशेष प्राधिकारी को वह अधिकार प्रदान कर सकता है, जो अधिनियम में अभिलिखित नहीं है अथवा अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं?

इसके उपरांत मान्नीय सर्वोच्च न्यायमूर्ति द्वारा खण्ड पीठ की स्थापना कर उक्त प्रश्न पीठ के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–08–2021 में उक्त प्रश्नों का उत्तर उद्घोषित किया गया जो निम्न प्रकार है–:

1. प्रथम प्रश्न के दृष्टगत जिलाधिकारी धारा 131 H उपधारा 10 के अंतर्गत संदर्भ गृहण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है एवं उसे यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत से प्रश्न कर सके।

2. दूसरे व तीसरे प्रश्न पर, वर्तमान मामले के संदर्भ में, न्यायलय का मत इस प्रकार है कि वह विधायिका नहीं है अतः विधेयक नहीं ला सकती है अतः अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई अधिकार अनुच्छेद 226 में प्रदान नहीं कर सकती है।

असल में जो शून्यक इस मामले के प्रश्नित विषय के माध्यम से स्थापित हुआ है उसका समाधान खण्ड पीठ ने **सिंगारेनी कोलियरीस क0लि0 बनाम् वेमुगंती राम किशनन राव व अन्य** में **कैसस ओमिसस** के सिद्धांत का संदर्भ देते हुए भर दिया है और जिलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी घाषित कर दिया है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त याचिका अनुमत की जाती है एवं बिंदु सं0 4 का निस्तारण करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द घोषित किया जाता है। किंतु इस याचिका को अनुमत किये जाने का कोई विधिक प्रभाव उत्तदाताओं के कोई अन्य अनुतोष खण्ड पीठ से प्राप्त करने के संदर्भ पर नहीं पड़ेगा। साथ ही निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने पर मियॉद संबंधी व अन्य सभी प्रश्नों पर विचारण करने का अधिकार निर्वाचन अधिकरण को होगा। इन्हीं शर्तों पर उक्त याचिका अनुमत की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा जे0)

07—10—2021